जिला पदाधिकारी, नवादा की अध्यक्षता में दिनांक–30.11.2018 को खरीफ विपणन मौसम धान अधिप्राप्ति वर्ष–2018–19 से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:– पंजी के अनुसार।

बैठक में उपस्थित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग /सहकारिता विभाग के द्वारा खरीफ विपणन मौसम धान अधिप्राप्ति वर्ष–2018–19 में पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेश जारी किया गया है। विभाग द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार–

- खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के माध्यम से किया जायेगा। इसके अन्तर्गत पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु **राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम** को **नोडल एजेंसी** नियुक्त किया गया है।
- अधिप्राप्ति से संबधित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–5370, दिनांक–22.11.2018 की कंडिका–VII में यह निदेश दिया गया है कि जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यों के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति करेंगे तथा प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
- गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी पैक्स/व्यापार मंडल धान अधिप्राप्ति के साथ–साथ राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजीकृत गैर प्रमादी मिल, जो जिला टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित हो , से ही क्रय धान का शत प्रतिशत मिलिंग कराकर केवल सी०एम०आर० निगम के संग्रहण केन्द्रों पर जमा करेंगी।
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा चयनित एवं एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारंटी के रूप में अग्रिम सी०एम०आर० प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त अग्रिम के समानुपातिक अधिप्राप्त धान मिलों को उपलब्ध कराया जायेगा। पुनः धान के समानुपातिक सी०एम०आर० प्राप्त करने के पश्चात् धान आपूर्ति करने का क्रम जारी रखा जायेगा ताकि किसी भी परिस्थिति में अधिक धान मिलरों के पास न रहे।
- जो किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं करते हैं, वैसे किसानों के ऑन–लाईन पंजीकरण हेतु भूमि की विवरणी के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटो पहचान पत्र के सत्यापन के उपरांत ऑन लाईन पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे किसानों के आवेदन का सत्यापन हेतु जिला स्तर/प्रखंड स्तर/पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापन एवं ऑन–लाईन पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जायेगी, ताकि किसी प्रकार का फर्जी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- किसानों से धान का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 200(दो सौ) क्विं० तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।
- वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे की जमीन पर खेती करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑन–लाईन पंजीकरण कराने के पश्चात उनसे अधिकतम 75 क्विं० धान अधिप्राप्ति की जायेगी।
- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसानों से धान क्रय किया जायेगा।सहकारिता विभाग द्वारा तैयार अधिप्राप्ति ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पर किसान का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा, जिसकी स्क्रीनिंग कराकर वेबसाइट पर अपलोड होगा। छूटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रों/प्रखंडों के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागजात एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की प्रति स्वहस्ताक्षरित एवं

सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापित कराकर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करायां जायेगा, जो उसका सत्यापन कर Authenticate करेंगे।

- राज्य में गठित सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील रहेंगे। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगा ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा न हो।
- पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंजीकृत किसानों को धान के विरूद्ध पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा यथा संभव PFMS के माध्यम से क्रय के बाद तत्काल(48 घंटे के अंदर) भुगतान की व्यवस्था की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किये गये धान का भुगतान बकाया नहीं रखा जायेगा और न ही किसानों से किसी प्रकार का वायदा कारोबार किया जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्त धान का समतुल्य सी०एम०आर० जमा करते समय पंजीकृत किसानों को क्रय धान के विरूद्ध यथासंभव PFMS के माध्यम से किये गये भुगतान के साक्ष्य के आधार पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रर्वतन प्रमाण पत्र के आधार पर निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि कमीशन सहित भुगतान की जायेगी।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य सरकार के निर्णयानुसार नोडल एजेंसी की रूप में करती है। इसलिये इसमें सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है। ऐसी परिस्थिति में यह सुनिश्चित करना है कि जिन पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराकर समतुल्य सी०एम०आर० जमा नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल /राईस मिल को अविलम्ब चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System(OPMS) के माध्यम से होगा एवं Online Daily Reporting बाध्यकारी होगा। जिला का धान अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग के साथ–साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा।
- नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से धान क्रय, भुगतान एवं सी०एम०आर०की प्राप्ति का कार्य चरणबद्ध रूप से संपन्न करेगी और अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया e-procurement software के माध्यम से संपन्न की जायेगी।
- सी०एम०आर० की प्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग पैक्सों/व्यापार मंडलों को बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- पूर्व की भाँति बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित सी०एम०आर० संग्रहण केन्द्रों पर प्रति लॉट 270 क्विं० सी०एम०आर० की प्राप्ति की जायेगी।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था में उच्च पारदर्शिता एवं ई–गवर्नेन्स की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया–धान क्रय, भुगतान, सी०एम०आर० जमा आदि Computer Software के माध्यम से होगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा PFMS योजना के तहत जिला को भुगतान हेतु PFMS में नामित खातों से राशि आवंटित की जायेगी।
- खरीफ विपणन मौसम धान अधिप्राप्ति वर्ष–2018–19 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एव धान अधिप्राप्ति एवं सी०एम०आर० प्राप्ति की अवधि निम्न प्रकार होगी–

1	साधारण धान	1750/–रूपये प्रति क्विं०
2	धान (ग्रेड–ए)	1770/–रूपये प्रति क्विं०
3	धान अधिप्राप्ति की अवधि	दिनांक–15.11.2018 से 31.03.2019 तक
4	सी०एम०आर० प्राप्ति की अवधि*	दिनांक–15.11.2018 से 31.07.2019 तक

- विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि पैक्सों एवं व्यापार मंडलों से सी०एम०आर० की प्राप्ति 30.06.2019 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जायेगी, विशेष परिस्थितियों में 31.07.2019 तक अवधि विस्तारित की जायेगी।

खरीफ विपणन मौसम धान अधिप्राप्ति वर्ष–2018–19 में धान अधिप्राप्ति हेतु निर्गत विभागीय निदेश के आलोक में जिला टास्क फोर्स द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये–

1. जिला अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम धान अधिप्राप्ति वर्ष–2018–19 में जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यों के नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु श्री ओमप्रकाश, **अपर समाहर्ता, नवादा को** नामित किया गया।
2. **प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी** अपने–अपने प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे।
3. प्रखंड स्तर पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त **प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी** निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर धान अधिप्राप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
4. **किसानों का निबंधनः–** जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अब तक कुल–213 किसानों के द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन कराया गया है। चूंकि इस वर्ष पूरे जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, इसलिये धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों के निबंधन की संख्या बहुत ही कम है। इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिये पुनः निबंधन किया जा रहा है और पूर्व के वर्ष में किसानों द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु कराये गये निबंधन मान्य नहीं है। इस वर्ष किसान को धान अधिप्राप्ति के लिये कृषि विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।

   जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों के निबंधन के लिये व्यापक प्रचार प्रसार करने का निदेश दिया गया।
5. **पैक्सों का चयनः–** जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि बैंक के द्वारा कुल–122 समितियों की सूची प्राप्त हुई है, जो प्रमादी नहीं हैं एवं अधिप्राप्ति कार्य के लिये अर्हताएँ पूरी करतें है। इन समितियों से से 84 समितियों से अधिप्राप्ति हेतु समिति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शेष समितियों से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

   विचारोपरांत समितियों के अंकेक्षण , डिफॉल्टर न होने, गोदाम की उपलब्धता आदि अर्हताओं के पूर्णता के आधार पर निम्नांकित 84 समितियों का चयन खरीफ विपणन मौसम धान अधिप्राप्ति वर्ष–2018–19 में धान अधिप्राप्ति कार्य के लिये किया गया:–

कम सं.	प्रखंड का नाम	समिति का नाम एवं पता	वेटिंग मशीन या माप–तौल कांटा	नमी मापक यंत्र	भंडारण हेतु गोदाम की उपलब्धता (सरकारी/किराये पर)	गोदाम की क्षमता(मे. टन में)	अंकेक्षण की स्थिति (वर्ष)	समिति का प्रस्ताव	गैर प्रमादी/प्रमादी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अकबरपुर	बकसंडा पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
2	अकबरपुर	फतेहपुर पैक्स	हां	हां	सरकारी	1000	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
3	अकबरपुर	माखर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
4	अकबरपुर	परतो करहरी पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
5	अकबरपुर	सकरपुरा पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
6	अकबरपुर	व्यापार मंडल	हां	हां	सरकारी	1000	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
7	गोविन्दपुर	बकसोती पैक्स	हां	नहीं	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
8	गोविन्दपुर	भवनपुर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
9	गोविन्दपुर	माधोपुर पैक्स	हां	नहीं	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
10	गोविन्दपुर	सरकंडा पैक्स	हां	नहीं	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
11	गोविन्दपुर	सुघड़ी पैक्स	हां	नहीं	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
12	गोविन्दपुर	व्यापार मंडल	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
13	हिसुआ	बगोदर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी

14	हिसुआ	दोना पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
15	हिसुआ	पचड़हा पैक्स	हां	नहीं	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
16	काशीचक	बेलड़ पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
17	काशीचक	वीरनावां पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
18	काशीचक	खखरी पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
19	काशीचक	पारवती पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
20	काशीचक	खैरा जगदीशपुर पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
21	कौआकोल	छबैल पैक्स	हां	हां	निजी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
22	कौआकोल	दरावां पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
23	कौआकोल	देवनगढ़ पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
24	कौआकोल	केबाली पैक्स	हां	नहीं	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
25	कौआकोल	खरसारी पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
26	कौआकोल	कौआकोल पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
27	कौआकोल	लालपुर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
28	कौआकोल	महुडर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
29	कौआकोल	मंझिला पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
30	कौआकोल	नवाडीह पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
31	कौआकोल	पाली पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
32	कौआकोल	पांडेगंगौट पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
33	कौआकोल	सरौनी पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
34	कौआकोल	शेखोदेवरा पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
35	मेसकौर	बारत पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
36	मेसकौर	बिसिआयत पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
37	मेसकौर	मिर्जापुर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
38	मेसकौर	सहबाजपुर सराय पैक्स	हां	हां	सरकारी	300	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
39	नारदीगंज	कोसला पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
40	नारदीगंज	नारदीगंज पैक्स	हां	हां	सरकारी	400	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
41	नारदीगंज	ओड़ो पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
42	नारदीगंज	परमा पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
43	नरहट	जमुआरा पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
44	नरहट	खानवां पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
45	नरहट	कोनीबार पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
46	नरहट	पुनथर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
47	नरहट	शेखपुरा पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
48	नरहट	व्यापार मंडल	हां	हां	सरकारी	500	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
49	नवादा	आंती पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी

50	नवादा	भदोखड़ा पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
51	नवादा	गोनावां पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
52	नवादा	झुनाठी पैक्स	हां	हां	सरकारी	100	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
53	नवादा	खरांत पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
54	नवादा	ननौरा पैक्स	हां	हां	सरकारी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
55	पकरीबरावां	एरूरी	हां	हां	सरकारी	300	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
56	पकरीबरावां	बेलखुन्दा पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
57	पकरीबरावां	दतरौल पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
58	पकरीबरावां	कबला पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
59	पकरीबरावां	पकरीबरावां उत्तरी पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
60	पकरीबरावां	कोणंदपुर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
61	रजौली	अमावां पूर्वी पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
62	रजौली	अमावां पश्चिमी पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
63	रजौली	अंधरवारी पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
64	रजौली	बहादुरपुर पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
65	रजौली	चितरकोली पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
66	रजौली	धमनी पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
67	रजौली	फरका बुजुर्ग पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
68	रजौली	लेंगुरा पैक्स	हां	हां	सरकारी	400	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
69	रजौली	मुढैना पैक्स	हां	हां	सरकारी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
70	रोह	भट्ठा पैक्स	हां	नहीं	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
71	रोह	भीखमपुर पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
72	रोह	छनौन पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
73	रोह	मरूई पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
74	सिरदला	अब्दुल पैक्स	हां	हां	सरकारी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
75	सिरदला	अकौना पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
76	सिरदला	चौबे पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
77	सिरदला	चौकिया पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
78	सिरदला	खटांगी पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
79	सिरदला	राजन पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
80	सिरदला	सांढ़ मंझगावां पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
81	वारसलीगंज	अपसढ़ पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
82	वारसलीगंज	दोसुत पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी
83	वारसलीगंज	पैंगरी पैक्स	हां	हां	निजी	100	31.03.2017	प्राप्त	गैर प्रमादी
84	वारसलीगंज	ठेरा पैक्स	हां	हां	सरकारी	200	31.03.2018	प्राप्त	गैर प्रमादी

बैठक में उपस्थित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व क्रय केन्द्र पर सभी आवश्यक व्यवस्था यथा–धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति से संबंधित बिन्दुओं का बैनर लगाना, माप तौल मशीन, नमी मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्रय पंजी एवं भंडार पंजी का संधारण करना, किसानों को अधिप्राप्ति के समय देने हेतु प्राप्ति रसीद आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी अधिप्राप्ति हेतु अहर्ता पूर्ण करने वाली समितियों से प्रस्ताव प्राप्त कर उनके चयन हेतु प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

6. **पैक्सों के गोदाम की स्थितिः–** जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि विभागीय निदेशानुसार धान अधिप्राप्ति का कार्य करने के लिये पैक्सों/व्यापार मंडल के पास कम से कम 100 एम.टी. का गोदाम होना आवश्यक है। अधिप्राप्ति कार्य हेतु चयनित सभी 84 समितियों के पास गोदाम की व्यवस्था है।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी चयनित समितियों से उनके भंडारण की व्यवस्था से संबंधित लिखित रूप से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे कि उनके द्वारा कितने गोदामों का उपयोग भंडारण के लिये किया जायेगा, उनकी क्षमता क्या है एवं उक्त गोदाम कहां अवस्थित है, उनका पूरा पता। यदि गोदाम सरकारी है तो उनका पूर्ण पता और यदि गोदाम किराये पर लिया गया है तो उनका किरायानामा प्राप्त करे। पैक्सों के औचक निरीक्षण के कम में धान का भंडारण उन्हीं गोदामों में जांच किया जायेगा, जिसकी लिखित सूचना पैक्सों द्वारा दी जायगी। इससे संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

7. **अधिप्राप्ति लक्ष्य का निर्धारणः–** जिला कृषि पदाधिकारी बतलाया गया कि अभी जो वर्तमान में उत्पादन से संबंधित अनुमानित प्रतिवेदन प्राप्त हुए है, उनके अनुसार जिला का उत्पादन बहुत ही कम है। प्रखंडों से पंचायतवार धान की कुल उत्पादन की मात्रा से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। धान उत्पादन का प्रखंडवार उत्पादन निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	प्रखंड का नाम	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	धान से आच्छादित रकबा(एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं० में)	कुल संभावित धान का उत्पादन(क्विं० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	नवादा	30011.00	14355.00	13.56	194653.80	
2	वारिसलीगंज	19245.65	10993.21	16.12	177210.55	
3	सिरदला	19024.00	11173.50	16.64	185962.25	
4	काशीचक	16656.58	3857.50	12.53	48334.48	
5	रोह	31055.00	10230.05	6.80	69564.34	
6	गोविन्दपुर	11307.00	7457.46	12.28	91577.61	
7	नरहट	16058.00	9542.00	8.23	78530.66	
8	हिसुआ	13200.00	10287.48	12.74	131062.50	
9	नारदीगंज	25820.06	11127.50	12.59	140047.80	
10	अकबरपुर	35916.30	21052.50	15.85	333682.13	
11	कौआकोल	28277.70	10415.00	15.95	166119.25	
12	पकरीबरावां	20001.00	3062.50	11.95	36596.88	
13	मेसकौर	14099.50	8819.00	6.81	60057.39	
14	रजौली	18067.50	16515.00	7.29	118802.20	
कुलः–		298739.29	148887.70	12.31	1832201.81	

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि धान अधिप्राप्ति के लिये गत वर्ष जो प्रति एकड़ मात्रा निर्धारित था, वह मात्रा इस वर्ष पंचायतों में हुए औसत उत्पादन के आधार होगी। इस संबंध में सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि चयनित

समिति जो धान अधिप्राप्ति का कार्य करेगी, वे किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम अपने प्रखंड के औसत उत्पादन के अधीन ही खरीद करेंगी।

धान अधिप्राप्ति हेतु समितियों के लक्ष्य निर्धारण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि धान अधिप्राप्ति के लिये चयनित समितियों को उनके पंचायत के कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत एवं व्यापार मंडलों को उनके प्रखंड के कुल उत्पादन का 03 प्रतिशत धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया जाता है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सभी चयनित समितियों को धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारण करेंगे एवं इसकी सूचना सभी संबंधितों को देगे।

8. **नकद साख सुविधा की स्वीकृतिः–** प्रबंध निदेशक, दि नवादा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक द्वारा बतलाया गया कि अभी तक राज्य स्तर से कैश केडिट की सुविधा से संबंधित कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग से निदेश प्राप्त होते ही चयनित समितियों को कैश केडिट की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

निर्णय लिया गया कि समितियों को अधिप्राप्ति कार्य के लिये कैश केडिट की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

9. **राईस मिलों का चयनः–** जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बतलाया गया कि अभी तक कुल–07 मिलों के द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त हुए और और पंजीयन प्रक्रियाधीन है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मिलों के चयन से संबंधित प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

10. **सी०एम०आर० संग्रहण हेतु गोदामों का अधिसूचित करनाः–** जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बतलाया गया कि खरीफ विपणन मौसम वर्ष–2018–19 में सी०एम०आर० संग्रहण हेतु कुल–04 गोदाम(गोदाम नं०–01–निगम गोदाम, नवादा प्रखंड, गोदाम नं०–02–बीज निगम, शोभिया पर, गोदाम नं०–03 एवं– 04– बिस्कोमान गोदाम, शोभिया पर) को अधिसूचित किया गया। बैठक में सी०एम०आर० केन्द्र के संग्रहण के लिये उपरोक्त 04 गोदामों को अधिसूचित किया गया।

11. **गुणवता नियंत्रक की प्रतिनियुक्तिः–** जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बतलाया गया कि जिला में गुणवता नियंत्रक नहीं है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक विभाग से स्थायी रूप से गुणवता नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति नहीं होती है, तब तक अबु कैश आजम, सहायक गोदाम प्रबंधक, नवादा सदर को गुणवता नियंत्रक का कार्य करने हेतु कार्यभारित किया जाता है।

12. **फसल सहायता योजना एवं सुखाड़ का लाभ लेने वाले किसानों से अधिप्राप्ति की जांचः–** जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस वर्ष पूरे नवादा जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसलिये किसानों को कृषि विभाग की ओर से सुखाड़ का लाभ एवं फसल सहायता योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। ऐसी स्थिति में ,वैसे किसान जिनके द्वारा फसल सहायता योजना और सुखाड़ का लाभ लिया गया है, उनके द्वारा धान बिक्री की मात्रा पर नजर रखने की आवश्यकता होगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी
नवादा।

ज्ञापांकः– 1136 ,दिनांकः– 01·12·18

प्रतिलिपिः–

1. सभी संबंधित पैक्स अध्यक्ष, नवादा जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, नवादा जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी अचंलाधिकारी, नवादा जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं निदेश है कि किसानों से भू–स्वामित्व प्रमाण प्रत्र हेतु प्राप्त आवेदन का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/18
जिला पदाधिकारी
नवादा।

ज्ञापांकः– 1136 ,दिनांकः– 01·12·18

प्रतिलिपिः–

1. जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, नवादा
2. प्रबंध निदेशक, दि नवादा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, नवादा।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर नवादा/रजौली।
3. जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा।
4. जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।
5. अपर समाहर्ता, नवादा

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/18
जिला पदाधिकारी
नवादा।

ज्ञापांकः– 1136 ,दिनांकः– 01·12·18

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया/ मुख्यालय, बिहार पटना।
2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार पटना।
3. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/18
जिला पदाधिकारी
नवादा।